



2026:AHC.9130

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19720 वर्ष 2025

प्रदीप दीक्षित

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: मदन मोहन, परमेश्वर यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री परमेश्वर यादव और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 21.08.1990 को मौसमी जमाकर्ता अमीन के पद पर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2022 में प्रकाशित वरिष्ठता सूची में, रिट याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 44 पर अंकित है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि रिट याचिकाकर्ता वर्ष 2024 से कार्यरत नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि रिट याचिकाकर्ता को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाए और उसकी सेवाओं को नियमित किया जाए।
4. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि स्थिति चाहे जो भी हो, रिट याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2, जिला दण्डाधिकारी, औरैया से संपर्क कर सकता है।
5. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे; जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 2, आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, विधि के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा।

जनवरी 14, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.